अपील-3464/2018/रतलाम/भू.रा.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय,
ग्वालियर (म.प्र.)

1— हजुडीबाई पति स्व.नानूराम जी
आयु—करीब 90 वर्ष, व्यवसाय़—कुछ नही

2— मदनलाल उर्फ मांगीलाल पिता नानूराम
आयु—61 वर्ष, व्यवसाय—सेवा निवृत

3— चम्पाबाई पिता नानूराम
आयु—66 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी
समस्त निवासीयान—सालाखेडी रतलाम
हा.मु. मैन रोड बिरियाखेडी रतलाम म.प्र. ... **प्रार्थी/अपीलान्ट्स**

वि रू द्ध

1— म.प्र.शासन द्वारा अपर आयुक्त महोदय
उज्जैन म.प्र.

2— अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
रतलाम ग्रामीण रतलाम

3— तहसीलदार महोदय,
रतलाम ग्रामीण रतलाम ... **प्रतिप्रार्थी/रेस्पांडेन्ट**

-:: अपील अंतर्गत धारा 44 (3) भू.रा.सं.::-

मान्यवर महोदय,

अपीलान्ट द्वारा विधवान अधिनस्थ न्यायालय, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन द्वारा अपील.प्र.क—105 / अपील / 2017—18 मे पारित निर्णय दिनांक 11 / 04 / 2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रतलाम (ग्रामीण) रतलाम के प्रकरण कमांक—4 / अपील / 2015—16 आदेश दिनांक 16 / 10 / 2017 एवं तहसीलदार महोदय, तहसील रतलाम ग्रामीण के प्रकरण कमांक 45 / अ—6 / 2013—14 आदेश दिनांक 06 / 09 / 2014 द्वारा जिसमे वादी का वाद निरस्त किया गया से असंतुष्ट होकर अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत है :—

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक अपील/3464/18/रतलाम/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-6-2018	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री अजय निमामा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक11-4-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन कियागया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारितआदेश के विरूद्ध यह तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 में तृतीय अपीलका प्रावधान नहीं होने से यह अपील प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	